सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2019/00043

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 20/2019

1–बद्रीप्रसाद 2–कमलेश पुत्रगण छत्रपाल जाति गौड (ब्राहमण) निवासीगण सिघोरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–मुन्नीदेवी पुत्री रघुवीर जाति बैरागी निवासी बसईनबाब तहसील सैपऊ 2–सरवनलल पुत्र रघुवीर जाति बैरागी निवासी बसईनबाब तहसील सैपऊ
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक व स्थई
निषेधाज्ञा धारा 88,188आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *सुरेन्द्र दुबे एडवोकेट* ..... (वादीगण)

निर्णय दिनांक 04.07.2019

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 97 रकवा 14 विश्वा वाके ग्राम सिघोरा के खातेदार कातकार रघुवीर पुत्र नत्थीलाल जाति वैरागी निवासी बसईनबाब थे तथा इसी हैसियत से उपवर्णित आराजीयात पर काबिज काश्त थे। प्रतिवादी सख्या 1 की शादी तथा पुत्र राधेश्याम के लावल्द विला जोजे निधन के उपरान्त रघुवीर उपरोक्त अपने आप को काफी अकेला महसूस करते थे तथा दूसरा पुत्र सरवनलाल सन्यासी हो चुका था तथा स्वास्थ्य भी खराब रहता था अतः अपनी वृद्वावस्था में रघुवीर उपरौक्त वादीगण के साथ रहते थे वादीगण ही रघुवीर की देखभाल तथा खाने पीने आदि का प्रवन्ध करते थे वादीगण की सेवाभाव से प्रसन्न होकर रघुवीर ने विवादित आराजी की वसीयत दिनांक 12.05.1992 को वादीगण के ह कमे तहरीर व तकमील कर गवाही गवाहान कराकर वादीगण के हवाले की रघुवीर उपरोक्त का निधन स्वाभाविक रूप से दिनांक 26.10.1992 को हो गया। रघुवीर के निधन के उपरान्त वादीगण ने ही उनका अन्तिम संस्कार सम्पन्न किया तथा तेरहवी इत्यादि की व्यवस्था की रघुवीर उपरोक्त के निधन के उपरान्त वादीगण मुताबिक वसीयत विवादित आराजी पर वहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त हुये तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्सा करीव 1 माह पूर्व विवादित आराजी पर आये तथा हकूकवादीगण से इन्कारी हुये तथा वादीगण को एलानिया धमकी दी कि वह भविष्य मे जवरन वादीगण को बैदखल कर काश्त नही करने देगे । तत्पश्चात वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड के वारे मे मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो से साजकर विवादित आराजी पर वादीगण की बैक पर अवैद्य रूप से अपने नाम दाखिला करा लिया हैं जोकि बमुकावले हकूक वादीगण प्रारम्भ से ही शून्य है। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

वादी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है विवादित अराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही है। वादीगण विवादित आराजी पर निरन्तर रूप से काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त कर रहे है तथा ऐसी स्थिति में वादीगण को यह आवश्यक हो गया है कि वे विवादित आराजी में अपने हकूक खातेदारी उद्घोषित करावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करावें ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही आये तथा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा वादी ने अपनी साक्ष्य पी डब्ल्यू–1 कमलेश, पीडब्ल्यू–2 हरीशंकर तथा पीड़बल्यू–3 दलीप कराये तथा दस्तावैजी साक्ष्य में असल वसीयत तारीखी 12.05.1992 प्रदर्श–1 तथा जमावन्दी संवंत 2070–73 खाता संख्या 274 वाके ग्राम सिघोरा प्रदर्श–2 प्रस्तुत की तथा वसीयत के अनुप्रमाणक साक्ष्यी हरीशंकर व दलीप के माध्यम से वसीयत का बिना किसी दबाब व धमकाव के पूर्ण स्वैच्छा पूर्वक निश्पादन सिद्व किया है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 97 रकवा 14 विश्वा वाके ग्राम सिघोरा का वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में वर्तमान में हो रहे कलमजद किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वह वादीगण की आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नही करे । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपाऊ